5396(E)
15/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक– 15.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत विद्यापीठ चौक से मोहनपुर पथ (पिपरिया मुख्यालय) लम्बाई 0.00 से 5.15 का निर्माण कार्य वर्ष 2015–16 के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–390(अनु०) दिनांक 30.01.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	विद्यापीठ चौक से मोहनपुर पथ (पिपरिया मुख्यालय) लम्बाई 0.00 से 5.15 का निर्माण कार्य वर्ष 2015–16
2.2	एकरारनामा संख्या	:	04/CMBD/2015-16
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹8,47,70,813.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd., Jamui
2.5	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹894.92 लाख। विभागीय पत्रांक–2624(S) दिनांक–20.03.2015
2.6	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹874.81 लाख। मुख्य अभियंता(या0), दक्षिण बिहार उपभाग के पत्रांक–1156(अनु०) दिनांक–31.05.2016
2.7	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	19.08.2015
2.8	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	18.07.2016
2.9	प्रथम बार मांग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	31.03.2017

3. **समयवृद्धि का कारण:–**

(1) कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित समयवृद्धि हेतु आवेदन में योजना में विलम्ब के कारण में उल्लेखित है कि :–

(i) योजना की तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब।

15.7.19

(ii) विधान सभा चुनाव–2015

(iii) वर्ष 2016 की अप्रत्याशित बाढ़ के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः**

सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 31.03.2017 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत् अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

5. **विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–**

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–390 (अनु०) दिनांक 30.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत विद्यापीठ चौक से मोहनपुर पथ (पिपरिया मुख्यालय) लम्बाई 0.00 से 5.15 का निर्माण कार्य वर्ष 2015–16 (एकरारनामा सं0–04/CMBD/2015-16) हेतु दिनांक–31.03.2017 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

15/7/19	15.7.19		15.7.19
(अजीत कुमार)	(रत्नेश कुमार)	(भवानी नंदन)	(अमृत लाल मीणा)
मुख्य अभियंता,	अपर सचिव–सह–	अभियंता प्रमुख,	प्रधान सचिव
दक्षिण बिहार उपभाग	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार	पथ निर्माण विभाग,	पथ निर्माण विभाग,
पथ निर्माण विभाग,	पथ निर्माण विभाग,	बिहार, पटना।	बिहार, पटना।
बिहार, पटना।	बिहार, पटना।		

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–04–34/2019 5396(E) **पटना, दिनांक** 15/7/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।